

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।
अधिसूचना

अधिसूचना सं.- 5/विविध 14-44/2014:-

राँची, दिनांक:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (मुख्यालय) के कृत्यों से संबंधित सूचना आवेदनों/अपीलों के संदर्भ में सम्यक कार्रवाई हेतु श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची को एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अभिहीत किया जाता है।

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. उक्त पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव/अपर सचिव/अभियंता प्रमुख 1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/उप सहायक, राजस्व प्रमण्डल, राँची/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी पुनर्वास पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :- 04/12/18

प्रतिलिपि :- वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।